भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 234

दिनांक 19.11.2019/28 **कार्तिक**, 1941 (**शक**) **को उत्तर के लिए**

विदेशियों के लिए निरुद्ध शिविर

†234. **श्री अब्दुल खालेकः**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या असम के अलावा किसी अन्य राज्य में विदेशियों के लिए कोई निरुद्ध शिविर है;

(ख) यदि नहीं, तो केवल असम में निरुद्ध शिविर स्थापित करने के क्या कारण हैं;

(ग) असम में कितने निरुद्ध शिविर हैं; और

(घ) निरुद्ध शिविर में रहने वाले विदेशियों की शिविर-वार राष्ट्रीयता सहित संख्या कितनी है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): निरूद्ध शिविर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उनकी अपनी जरूरत के मुताबिक, उन अवैध शरणार्थियों/विदेशी नागरिकों को निरूद्ध करने के लिए स्थापित किये जाते हैं, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है, लेकिन उनका अपने देश के लिए निर्वासन लंबित है। वर्तमान में निरूद्ध शिविर केवल असम राज्य में स्थापित किये गये हैं।

(ग) और (घ): दिनांक 13.11.2019 की स्थितिनुसार, असम में 06 (छह) निरूद्ध शिविरों में कुल 1043 विदेशी नागरिक रह रहे हैं। इन विदेशी नागरिकों का शिविर-वार और राष्ट्रीयता-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :

निरूद्ध शिविर	**कुल निरूद्ध व्यक्ति**	**राष्ट्रीयता**	
		बांग्लादेशी	**म्यांमारी**
गोलपाड़ा	229	227	02
कोकराझार	156	156	-
सिलचर	74	68	06
डिब्रूगढ़	40	40	-
जोरहाट	203	203	-
तेजपुर	341	331	10
कुल	1043	1025	18

*****